न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–1 / 2022 दायर दिनांक– 13.1.2022

GCMS NO:- 2022/24 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

बाबूसिंह आ0 दुर्गालाल जाति दरोगा राजपूत नि0 महावीरपुरा तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 5)

प्रार्थीगण

बनाम

बाबूडी पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा नि0 महावीरपुरा तहसील नैनवॉ वगैरह (कुल 5)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128, 136 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम मीणा।
अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम महावीरपुरा मे भूमि खसरा नम्बर 1808 / 1393 रकबा 0.9304 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1394 / 1616 रकबा 0.6391 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण खातेदार की है। यह कि उक्त भूमि मे पश्चिमी व उत्तरी ओर खसरा नम्बर 1394 / 1617 प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि है।

यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 बाबूडी अवैद्य व अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक अपने पति के साथ मिलकर जबरन प्रार्थीगण की भूमि की मेर अतिक्रमण करना चाहती है, मना करने पर अपनी गलत सीमा बताती है। प्रार्थीगण नाप चौप कर पत्थरगढी के लिए कहता है तो कहती है कि तुम करालो। प्रत्यार्थीगण पुनः अतिक्रमण करने की धमकियां देने लगे है और बलपूर्वक खसरा नम्बर 1393 सिवायचक भूमि पर भी अतिक्रमण करने की धमकियां देते है। यदि नाप चौप होकर पत्थरगढी नही की गयी तो प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 बलपूर्वक प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण कर सकते है। सिवायचक भूमि को भी दबा सकते है। इस कारण पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी व नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3,4 अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 03 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम महावीरपुरा मे भूमि खसरा नम्बर 1808 / 1393 रकबा 0.9304 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1394 / 1616 रकवा 0.6391 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500 / – रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा